

कार्यालय: जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक:- स्था./33/.2020/2677

दिनांक: 15/05/2024

प्रेषित :-

अपर सिविल न्यायाधीश एवं
महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं० 27,
जयपुर महानगर-द्वितीय।

विषय:- श्री मंगल चंद मीणा, शहरिस्तेदार/रीडर ग्रेड-III के उक्त पदोन्नत पद पर वेतनस्थिरीकरण किये जाने के क्रम में।

प्रसंग:- आपके पत्र क्रमांक 413 दिनांकित 03.05.2024 के क्रम में।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख हैं कि आपके न्यायालय में पदस्थापित श्री मंगल चंद मीणा, शहरिस्तेदार/रीडर ग्रेड-III द्वारा लिपिक ग्रेड-III से शहरिस्तेदार/रीडर ग्रेड-III/लिपिक ग्रेड-III के पद पर पदोन्नति पर नियमानुसार वेतनस्थिरीकरण किये जाने हेतु इस कार्यालय को प्रार्थना-पत्र मय सेवापुस्तिका प्रेषित किया गया था।

उपरोक्त क्रम में इस कार्यालय में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-III द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की दिनांक को वेतनस्थिरीकरण के दौरान सेवापुस्तिका की जांच में पाया गया कि श्री मीणा की प्रथम नियुक्ति च.श्रे.क. के पद पर दिनांक 05.07.2005 होने से उन्हें 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान/एसीपी/एमएसीपी का लाभ दिनांक 05.07.2023 को देय होता है, जिसमें वेतनस्थिरीकरण नहीं होना पाया गया।

अतः श्री मीणा की संलग्न सेवापुस्तिका भेज कर लेख हैं कि उक्त कर्मचारी का उपरोक्तानुसार पदोन्नति से पूर्व 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान/एसीपी/एमएसीपी देय होने से कर्मचारी से नियमानुसार संलग्न एमएसीपी आवेदन-पत्र भरवाया जाकर इस कार्यालय को मय सेवापुस्तिका प्रकरण पुनः प्रेषित करवायें।

भवदीय,

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


प्रभारी अधिकारी (संस्थापन शाखा)
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर-द्वितीय